


प्रपत्र 'ख'

लोक सेवा के अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत विद्यमान राशन कार्ड में उपांतरणों
अथवा विद्यमान राशन कार्ड को प्रत्यर्पण (Surrender)/ रद्द करने के लिए

(राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 (शारा-9) तथा लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश 2015 (कोडिका 3 का
उपकोडिका 13, 14 तथा कोडिका 4 उपकोडिका 7, 8, 9) द्रष्टव्य)



1. आवेदक का नाम
2. आधार/ EID no
3. मोबाइल नं.-
4. आवेदक के पति/पिता का नाम
5. पूर्ण आवासीय पता
6. विद्यमान राशन कार्ड की सं.-
7. सम्बद्ध जन वितरण प्रणाली विक्रेता का नाम एवं अनुज्ञाप्ति सं.-
8. विद्यमान राशन कार्ड में उपांतरण का कारण-
 - (क) निवास में परिवर्तन -
 - (ख) जन्म या मृत्यु -
 - (ग) कार्ड में वर्णित व्योरो में अशुद्धियाँ -
 - (घ) अन्य कारण -
9. विद्यमान राशन कार्ड में उपांतरण हेतु विवरणी -

क्र०	नाम	पति/पिता का नाम	लिंग	उम्र	वैवाहिक स्थिति	संबंध
1	2	3	4	5	6	7

संहिता

आधार / EID no	मोबाइल नं०	व्यवसाय / सरकारी सेवक	आमदनी का स्रोत	मासिक आय
8	9	10	11	12

10. विद्यमान राशन कार्ड को प्रत्यर्पण/रद्द करने का कारण -

(क) ग्रामीण क्षेत्र में प्रवास, जन्म, विवाह, सामाजिक और आर्थिक प्रास्तिमि में परिवर्तन के कारण आवेदक निम्नलिखित पर हॉ/नहीं, पर टिक लगाये :-

- (i) मोटर चालित तिपहिया/चार पहिया वाहन है, हॉ नहीं
 - (ii) मशीन चालित तीन/चार पहियों वाले कृषि उपकरण है, हॉ नहीं
 - (iii) सरकार में पंजीकृत गैर-कृषि उद्योग वाले परिवार वाली गृहस्थी है, हॉ नहीं
 - (iv) परिवार के किसी सदस्य की मासिक आय 10,000/- रु० से अधिक है, हॉ नहीं
 - (v) आयकर देते है, हॉ नहीं
 - (vi) व्यावसायिक कर का भुगतान करते है, हॉ नहीं
 - (vii) जिस मकान में रहते है, उस मकान में सभी कमरों में पक्की दीवारों और छत के साथ तीन अथवा अधिक कमरा है, हॉ नहीं
 - (viii) परिवार में कम से कम एक सिंचाई उपकरण के साथ 2.5 एकड़ अथवा इससे अधिक सिंचित भूमि है, हॉ नहीं
 - (ix) दो अथवा उससे अधिक फसली मौसम के लिए 5 एकड़ अथवा इससे अधिक सिंचित भूमि वाली गृहस्थी है, हॉ नहीं
 - (x) कम से कम एक सिंचाई उपकरण के साथ कम से कम 7.5 एकड़ अथवा इससे अधिक भूमि वाली गृहस्थी है, हॉ नहीं
 - (xi) आवेदक अथवा आवेदक के परिवार का कोई सदस्य सरकारी सेवा में है, हॉ नहीं
- अगर है तो उसका विवरण -
- (क) किस सेवा में है -
 - (ख) कहाँ पदस्थापित है -
 - (ग) कितना मासिक आमदनी है -

(ख) शहरी क्षेत्र में प्रवास, जन्म, विवाह, सामाजिक और आर्थिक प्रास्तिमि में परिवर्तन के कारण आवेदक निम्नलिखित पर हॉ/नहीं, पर टिक लगाये :-

- (i) आयकर अदा करते है, हॉ नहीं
 - (ii) आवेदक अथवा आवेदक के परिवार का कोई सदस्य वर्ग 1, वर्ग 2, वर्ग 3 एवं वर्ग 4 श्रेणी के सरकारी सेवा (अनु०जाति/अनु० जनजाति के Group 'D' के कर्मी को छोड़कर) में है, हॉ नहीं
- अगर उसका विवरण -
- (क) किस सेवा में है -
 - (ख) कहाँ पदस्थापित है -

- (g) कितनी मारिक आमदनी है –
- (iii) व्यवसायिक कर अदा करते हैं, हों नहीं
 - (iv) तीन कमरे या उससे अधिक (पक्का) कंक्रीट छतयुक्त मकान वाली गृहस्थी जो स्वयं की स्वामित्व में है, हों नहीं
 - (v) परिवार के किसी सदस्य का मासिक आय 20,000/- रु० से अधिक है, हों नहीं
 - (vi) दो पहिया वाहन, रेफीजरेटर तथा यांशिंग मशीन तीनों उपकरण हैं, हों नहीं
 - (vii) गृहस्थी में चार पहिया वाहन हैं, हों नहीं
 - (viii) गृहस्थी में वांशिंग मशीन है, हों नहीं
- उपरोक्त कंडिका के अनुसार विद्यमान राशन कार्ड में आवश्यक उपांतरण किया जाय/कंडिका के अनुसार पात्र गृहस्थियों हेतु मानक मानदंड से बाहर हो जाने के कारण विद्यमान राशन कार्ड को रद्द कर दिया जाय (राशन कार्ड संलग्न)

दिनांक
राशन

आवेदक का हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान
नाम

20/07/2011